

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

दिनांक :- 24-07-19

क्रमांक : शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2019-20

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक-मुख्यालय

विषय:- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति-नूतन एवं नवीनीकरण (Fresh & Renewal) हेतु सत्र 2019-20 के लिए आवेदन करने हेतु दिशा-निर्देश।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi (Zoroastrian)) से सम्बद्ध राजस्थान प्रदेश में स्थित समस्त केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त राजकीय एवं गैर राजकीय (निजी) विद्यालयों, पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा संचालित मॉडल स्कूल आदि में सत्र 2019-20 हेतु कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र/छात्रा द्वारा अपने अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान की सहायता से सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निर्धारित आवेदन-पत्र नेशनल स्कॉलरशिप वेब पोर्टल (National Scholarship Portal of Government of India) के URL www.scholarships.gov.in पर दिनांक 15.07.2019 से आवेदन प्रारंभ किये जा चुके हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर भी इस हेतु Link उपलब्ध है।

1. कक्षा 1 से 10 तक के अल्पसंख्यक समुदायों के समस्त पात्र विद्यार्थियों को ऑन-लाईन आवेदन करना है। संस्था प्रधान इसमें विद्यार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करें। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑन-लाईन आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि

क्र.स.	कार्य	अंतिम तिथि
1	छात्र-छात्रा द्वारा नूतन (Fresh) छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि	15.10.2019
2	छात्र-छात्रा द्वारा नवीनीकरण (Renewal) छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि	15.10.2019
3	आवेदन पत्रों का प्रथम स्तर वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि (संस्था प्रधान स्तर)	31.10.2019
4	आवेदन पत्रों का द्वितीय स्तर वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि (जिश्अ कार्यालय स्तर)	15.11.2019

3. यद्यपि वर्तमान में आवेदकों के लिए आधार नंबर उपलब्ध करवाना वैकल्पिक कर दिया गया है परन्तु पात्र आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय स्वयं का आधार नंबर उपलब्ध करवाएं। आधार नंबर जारी न होने की स्थिति में आवेदक फोटोग्राफ युक्त बैंक पासबुक एवं आधार नामांकन संख्या (Aadhar Enrollment No.) उपलब्ध करवाते हुए आवेदन कर सकेगा। आवेदक केवल वही बैंक खाते का विवरण दे जो सक्रिय मोड में हो या बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।
4. सभी सरकारी व निजी संस्थानों/विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र अध्ययन कर रहा है, को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। संस्था प्रधान विद्यालय पंजीकरण के संबंध में जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करेंगे।

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में इस छात्रवृत्ति योजना में नूतन (Fresh) छात्र-छात्राओं हेतु निम्नानुसार भौतिक लक्ष्य रखा गया है :-

मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	कुल छात्रवृत्तियाँ
79735	1237	11199	156	7980	1	100308

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-मुख्यालय शिक्षा विभाग को पाबंद किया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों के पात्र विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें।

पात्रता :-

- अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति नूतन (Fresh) हेतु पात्रता (जो विद्यार्थी प्रथम बार आवेदन कर रहे हैं)
 1. वे छात्र-छात्राएं जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रूपये एक लाख से अधिक न हो। (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
 2. वे छात्र-छात्राएं जिन्होंने गत वर्ष की अर्हककारी परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक/समकक्ष ग्रेड या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हैं। (अंक तालिका की प्रति संलग्न करें)
 3. एक परिवार के अधिकतम दो विद्यार्थियों को ही यह छात्रवृत्ति देय है। तदनुसार ही आवेदन करें।
 4. छात्र/छात्रा द्वारा समान कक्षा और सत्र में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा रही हो।
- अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति नवीनीकरण (Renewal) हेतु पात्रता (जो विद्यार्थी गत वर्ष छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त कर चुका हो)
 1. वे छात्र-छात्राएं जिन्हें गत वर्ष में अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति उनके बैंक खाते के माध्यम से (DBT) भुगतान किया गया है व अपनी मौजूदा एप्लीकेशन आईडी से आवेदन कर सकते हैं।
 2. अन्य समस्त पात्रता शर्तें बिन्दु संख्या 1 से 4 के अनुसार यथावत रहेंगी।

छात्रवृत्ति की दरें

क्र. सं.	मद	छात्रावासी विद्यार्थी (HOSTLLER)	गैर छात्रावासी विद्यार्थी (DAY SCHOLAR)
1.	कक्षा 6 से 10 तक प्रवेश शुल्क	500 रूपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)	500 रूपये वार्षिक या वास्तविक(जो भी कम हो)
2.	कक्षा 6 से 10 तक शिक्षण शुल्क	350 रूपये प्रतिमाह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए	350 रूपये प्रतिमाह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए
3.	रख-रखाव भत्ता (अधिकतम 10 माह)		
	(i) कक्षा 1 से 5 तक	शून्य	100 रूपये प्रतिमाह
	(ii) कक्षा 6 से 10 तक	600 रूपये प्रतिमाह या वास्तविक व्यय (जो भी कम हो)	100 रूपये प्रतिमाह

छात्र-छात्रा आवेदन पत्र पोर्टल पर सबमिट करने के उपरान्त उसका प्रिन्ट ले कर निम्नांकित दस्तावेज संलग्न कर स्वयं के विद्यालय में जमा करवाएंगे :-

- छात्र-छात्रा का फोटोग्राफ
- छात्र-छात्रा के आधार कार्ड/आधार नामांकन रसीद की फोटोप्रति
- छात्र-छात्रा के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोप्रति
- छात्र-छात्रा की गत वर्ष उत्तीर्ण की गई अर्हककारी परीक्षा की अंकतालिका की फोटोप्रति
- छात्र-छात्रा के मूल निवासी प्रमाण पत्र की प्रति
- छात्र-छात्रा के अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
- छात्र-छात्रा का अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होने का प्रमाण पत्र
- छात्र/छात्रा द्वारा कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने संबंधी स्वघोषणा पत्र
- परिवार में अधिकतम दो विद्यार्थियों के ही अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति में लाभार्थी होने का स्वघोषणा पत्र।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2019-20

दिनांक :- 24-07-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को भिजवाकर निवेदन है कि वे अपने अधीनस्थ जिशिअ कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी कर उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करें।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को भिजवाकर निवेदन है कि वे अपने अधीनस्थ मण्डल कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी कर उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करें।
5. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने क्षेत्राधीन समस्त मदरसों को दिशा-निर्देश जारी कर उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करें।
6. निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, राजस्थान जयपुर।
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. रक्षित पत्रावली।



24/7/19
(संजय सेंगर)

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर